न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प- उज्जैन :म०प्र०:. रेऽ३), 2785/III/15

प्रकरण क्रमांक २२६।६७.

किशोरीलाल ----प्रार्थी.

विरुद्ध

लक्ष्मीनारायण आदि ----प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा ३२,३५ 35(3) R-17 A मू०रा०संहिता।

---------0---------

माननीय महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी किशोरीलाल की ओर से निम्न लिखित आवेदन-पत्र प्रस्तुत है. ::-

१।- यह कि, प्रार्थी किशोरीलाल व्दारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्तसंभाग आयुक्त महोदय,उज्जैन के न्यायालय में निर्णित प्रकरण के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष वाद अधिनस्थ न्यायालय के आदेश का खण्डन किये जाने हेतु प्रस्तुत की थी । जबकि प्रार्थी किशोरीलाल का स्वर्गवास हो चुका है,और प्रार्थी के उत्तराधिकारी उनके दो पुत्र श्री रमेश आत्मज स्व० किशोरीलाल एवम् सुरेश आत्मज किशोरीलाल वैधानिक उत्तराधिकारी के रुप में मौजूद है । जिनको प्रकरण की कोई जानकारी नहीं होने के कारण नियत तारिख पेशी उनके पिता व्दारा नियुक्त अभिभाषक व्दारा नहीं किये जाने के कारण माननीय न्यायालय व्दारा प्रकरण दिनांक - १६ - ८ - १५ को अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया है । निगरानी क्र. 229/97 ...

२।- यह कि, प्रार्थी के वारिसान भी अभिलेख पर आना शेष है प्रार्थी के वारिसान व्दारा जानकारी प्राप्त करने पर समय सीमा में यह आवेदन पत्र प्रकरण को पुन: नम्बर पर लिया जाने हेतु एवं सुनवाई हेतु रखा जाने हेतु प्रार्थी की अनुपस्थिति क्षमा किये जाने हेतु यह आवेदन-पत्र आज दिनांक को समय-सीमा में प्रस्तुत है,जो कि प्रार्थी की अक्षमाता पर आधारित होकर ऐसी अनुपस्थिति क्षम्य की जाकर आवेदन स्विकार करने की कृपा करें ।

इति दिनांक २१।८।२०१५.

प्रार्थी.

१- रमेश पिता किशोरीलाल
२- सुरेश पिता स्व०किशोरीलाल
नि०गण ग्राम दौलतपुर तह०बड़नगर जिलाउज्जैन

अभिभाषक
संदीप व्यास

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो. 2785–तीन/15 [illegible] जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-1-2017	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 6–5–1997 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो आवेदक द्वारा प्रकरण चलाने में रूचि नहीं होने के कारण दिनांक 19–8–2015 को समाप्त किया गया है। चूंकि अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–6–98 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है । अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरर्थक हो जाने के कारण इस न्यायालय का मूल प्रकरण कमांक निगरानी 229–दो/97 पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । फलस्वरूप यह रेस्टोरेशन प्रकरण औचित्यहीन होने से समाप्त किया जाता है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	